रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2002/फाल्गुन 17, 1923
No. 60] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2002/PHALGUNA 17, 1923

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2002

सं. पी-23015/1/2001-विपणन.— भारत सरकार ने अपने दिनांक 21 नवम्बर, 1997 के संकल्प सं. 224 द्वारा प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति (एपीएम) को चरणों में समाप्त करने का निर्णय लिया था। पूर्वोक्त संकल्प में यह परिकल्पना की गई थी कि उपयुक्त प्रशुल्क संरक्षण प्रदान करके और एमएस, एचएसडी और एटीएफ जैसे परिवहन ईंधनों के विपणन अधिकारों को न्यूनतम 2000 करोड़ रूपये के निवेश वाली रिफाइनरियों का स्वामित्व रखने और प्रचालन करने अथवा कम से कम तीन मिलियन टन कच्चे तेल का प्रतिवर्ष उत्पादन करने वाली तेल अन्वेषण और उत्पादन कंपनी होने की शर्त के अधीन रख कर परिशोधन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

2. प्रधानमंत्री जी ने मार्च, 1999 में **"भारत हाईड्रोकार्बन झलक-2025"** विकसित करने के लिए एक विशिष्ट ढांचा तैयार करके मंत्रियों के एक दल का गठन किया था। इस दल ने 23.3.2000 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की गई थी कि परिवहन तेलों के विपणन अधिकारों को किसी कंपनी द्वारा अन्वेषण अथवा उत्पादन, परिशोधन, पाइपलाइनों अथवा टर्मिनलों में 2000 करोड़ रूपये निवेश करने अथवा निवेश करने का प्रस्ताव करने की शर्त के अधीन रखा जाए। इस रिपोर्ट में वर्तमान विपणन कंपनियों के खुदरा संजालतंत्रों पर कब्जा जमाए बिना विपणन के लिए स्वयं के वितरण संजालतंत्र स्थापित कर सकने में नई प्रवेश करने वाली कंपनियों को समर्थ बनाने हेतु प्रक्रम स्थापित करने की भी सिफारिश की गई है।

3. भारत सरकार ने **"भारत हाईड्रोकार्बन झलक-2025"** रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार करने के बाद अब एमएस, एचएसडी और एटीएफ जैसे परिवहन ईंधनों का विपणन करने का प्राधिकार निजी क्षेत्र सहित नई प्रवेश करने वाली कंपनियों को प्रदान करने का निर्णय लिया है। परिवहन ईंधनों का विपणन करने का प्राधिकार प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं :

1. भारत सरकार के 21 नवम्बर, 1997 के संकल्प के अनुसार न्यूनतम 2000 करोड़ रूपये के निवेश वाली रिफाइनरियों का स्वामित्व रखने और प्रचालन करने वाली अथवा न्यूनतम 3 मिलियन टन वार्षिक कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली तेल अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों को परिवहन ईंधनों के विपणन अधिकारों का अधिकार प्राप्त है।

782 GI/2002

2. अब मोटर स्पिरिट (एमएस), हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) और विमानन तेल (एटीएफ) नामक परिवहन ईंधनों का विपणन करने का प्राधिकार भी अन्वेषण और उत्पादन (ई एण्ड पी), परिशोधन, पाइप लाइनों अथवा टर्मिनलों में 2000 करोड़ रूपये का निवेश करने वाली अथवा निवेश करने का प्रस्ताव करने वाली किसी कंपनी के लिए उपलब्ध है। उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए निवेशों का मूल्यांकन सरकार द्वारा अपनी संतुष्टि के अनुसार कराया जाएगा।

3. भविष्य के निवेशों के मामले में पात्र क्रियाकलापों में ऐसे निवेश करने के लिए समय सीमा की गणना इस योजना के तहत हाथ में ली गई सभी परियोजनाओं के लिए परिवहन ईंधनों के विपणन हेतु प्राधिकार के दिए जाने की तारीख से दस वर्ष के रूप में की जाएगी। पात्र क्रियाकलापों में 2000 करोड़ रूपये का निवेश करने के लिए दस वर्ष की समग्र समय सीमा के भीतर वित्तीय समापन पांच वर्ष के भीतर पूरा होना चाहिए और परियोजना/परियोजनाएं दस वर्ष के भीतर हर प्रकार से पूरी हो जानी चाहिए। उपर्युक्त दस वर्ष की अवधि में वित्तीय समापन के लिए नियत अवधि भी शामिल है। कंपनी को पात्र बनने के लिए ऐसे निवेश करने होंगे जो वर्तमान आस्तियों के अतिरिक्त होंगे और/अथवा पात्र क्रियाकलापों में नई आस्तियों का सृजन होगा।

4. निम्नलिखित आस्तियों में निवेश पात्र समझा जाता है :

(क) नई ग्रासरूट रिफाइनरियां स्थापित करना और/अथवा कच्चे तेल की प्राप्ति और परिवहन सुविधाओं जैसी सुविधाओं सहित मौजूदा रिफाइनरियों का विस्तार।

(ख) कोल बेड मिथेन और कच्चे तेल/प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की संक्रिया करने वाले संयंत्रों जैसी सहबद्ध सुविधाओं सहित हाईड्रोकार्बनों का अन्वेषण और उत्पादन।

(ग) कच्चे तेल/एलएनजी के टर्मिनल।

(घ) कामन कैरीयर प्राकृतिक गैस/पेट्रोलियम उत्पाद/एलपीजी पाइपलाइनें।

परन्तु **"कामन कैरीयर पाइपलाइनों"** के मामले में निवेशक भविष्य में निर्धारित किए जाने वाले एक विनियामक प्रक्रम संबंधी सभी नियमों और विनियमों के अध्यधीन होगा।

(ङ) पर्यावरणीय रूप से सम्बद्ध मानकों को पूरा करने के लिए उत्पाद की गुणवत्ता में निवेश के लिए अतिरिक्त आस्तियों की स्थापना करने हेतु उपर्युक्त क्रियाकलापों में निवेश।

ऊपर विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के अतिरिक्त अन्य क्रियाकलाप पात्र नहीं होंगे।

5. वास्तविक अथवा प्रस्तावित निवेश की विनिर्दिष्ट धनराशि की अपेक्षा, पात्र क्रियाकलापों में कंपनी द्वारा किए गए सभी विभिन्न निवेशों/प्रस्तावित निवेशों पर लागू होगी और किसी एकल क्रियाकलाप तक सीमित नहीं होगी।

6. (क) ऐसी कम्पनी, जो पात्र कार्यों में विनिर्दिष्ट स्तर का निवेश करने का प्रस्ताव करती हो अथवा ऐसी कम्पनी, जिसने पात्र कार्यों में 2000 करोड़ रूपए का निवेश पहले ही कर दिया है किन्तु जिसे परियोजना/परियोजनाएं अभी पूर्ण करनी हों, को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (पे. और प्रा.गै.मं.)/विनियामक बोर्ड में सरकार के साथ एक ऐसे करार पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसमें शर्तें और महत्वपूर्ण बिन्दु होंगे।

(ख) इस करार में अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित निवेश के लिए 500 करोड़ रूपए की बैंक गारंटी के लिए विशेष प्रावधन होंगे। जहां गारंटी लगाई जाती है, वह 2000 करोड़ रूपए के निवेश की पूर्णता पर मुक्त की जाएगी किन्तु परियोजना को पूरा करने के लिए आवेदक की बाध्यता परियोजना के पूर्ण होने तक जारी रहेगी।

7. सरकार/विनियामक बोर्ड परियोजना/परियोजनाओं की प्रगति का पुनरीक्षण समय-समय पर अपनी संतुष्टि के लिए संबंधित पक्षकारों के साथ इस प्रकार करेगा कि करार में दी गई शर्तों और लक्ष्यों का पूर्णतः पालन किया जाए और उनमें कोई ढील न हो। यदि 2000करोड़ रूपए तक का निवेश दस वर्ष से अधिक के लिए विलंबित होता है तो ऐसे मामलों में बैंक गारंटी का सहारा लिया जाए और इस करार में उपबंधित किए गए अनुसार कोई अन्य जुर्माना लगाया जाए जिसमें परिवहन ईंधनों के विपणन के प्राधिकार का रद्द किया जाना शामिल है। उन मामलों में जिनमें 2000 करोड़ रूपये के निवेश के बाद परियोजना, आवेदक द्वारा अपनी योजना में विनिर्दिष्ट अवधि से परे अधूरी रहती है, तो विपणन प्राधिकार वापस लिया जा सकता है।

8. पात्र क्रियाकलापों के संबंध में किए गए अथवा किए जाने के लिए प्रस्तावित निवेश, इक्विटी, लिखतों जैसी इक्विटी उदाहरणार्थ विनिमेय ऋण पत्रों (पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से), अथवा कंपनी की सहायतार्थ ऋण के रूप में होगा।

9. प्रत्येक पात्र कंपनी, अर्थात् ऐसी कंपनी, जिसने पात्र क्रियाकलापों के संबंध में या तो अपने नाम से अथवा किसी ऐसी कंपनी, जिसके अंतर्गत ऐसा निवेश किया गया है अथवा निवेश प्रस्तावित है, के नाम से निवेश किया है अथवा निवेश करने का प्रस्ताव करती है,को केवल एक प्राधिकार प्राप्त होगा।

10. परिवहन ईंधन का विपणन करने के प्राधिकार का प्रयोग या तो ऐसी पात्र कंपनी द्वारा स्वयं अथवा इसकी सहायक कंपनी के माध्यम से अथवा अन्य पात्र कंपनी/कंपनियों समेत इसकी संयुक्त उद्यम (सं उ) कंपनी के माध्यम से अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सहित इसकी ऐसी

संयुक्त उद्यम कंपनी, जो पहले ही परिवहन ईंधनों का विपणन कर रही है, के माध्यम से किया जाएगा।

11. परिवहन ईंधन का विपणन करने संबंधी प्राधिकार सरकार की अनुमति के बिना हस्तान्तरणीय नहीं होगा ।

12. परिवहन ईंधन का विपणन करने के लिए प्राधिकार की मांग करने वाली कंपनी को इस संबंध में विनिर्दिष्ट फार्म में अपनी विपणन योजना जिसके लिए प्राधिकार की मांग की गई हो, का ब्योरा देते हुए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं इस आवेदन पत्र के साथ विनिर्दिष्ट शुल्क भी जमा करना होगा। इस योजना के अंतर्गत खुदरा बिक्री केन्द्रों (आर ओज) की संख्या एवं स्थान के लिए कोई सीमा नहीं होगी परन्तु कि विद्यमान खुदरा बिक्री केन्द्रों पर किन्हीं अधिक्रमणों की अनुमति नहीं होगी। तथापि, सूचनार्थ इस विपणन योजना के अंतर्गत निम्नांकित का ब्योरा होगा :-

(क) विपणन किए जाने वाले उत्पादों की आपूर्ति का स्रोत,

(ख) क्षमता स्थापित/स्थापित किए जाने वाले टैंकेज एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं समेत,

(ग) डिपो तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों को उत्पादों के परिवहन के साधन,

(घ) स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या एवं इनके स्थान तथा इनकी भंडार एवं वितरण क्षमता,

(ङ) इस विपणन योजना के तहत आने वाले उत्पादों की कुल मात्रा एवं किस्म।

इस योजना के अंतर्गत पात्र कंपनी के द्वारा विशिष्ट रूप से, सरकार/नियामक बोर्ड के द्वारा निर्धारित किए जाने वाले खुदरा बिक्री केन्द्र सेवा दायित्वों तथा विपणन सेवा दायित्वों से संबंधित स्वैच्छिक अनुपालन पद्धति की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी।

13. इस योजना की जांच करने के पश्चात् सरकार अथवा नियामक बोर्ड, जैसा भी मामला हो, पात्र कंपनी को सार्वजनिक हित में ये शर्तें अधिरोपित करते हुए यह प्राधिकार दे सकती है :-

(क) समय-सयम पर केन्द्र सरकार के द्वारा घोषित किए जाने वाले दूर-दराज क्षेत्रों तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों की, ऐसे प्राधिकार के लिए आवेदन करने के प्रथम वर्ष के आरंभ में कम से कम खुदरा बिक्री केन्द्रों में विद्यमान प्रतिशत के अनुपात में खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करके सेवा करना,

यदि पात्र कंपनी प्राधिकार जारी किए जाने के समय सरकार/नियामक बोर्ड के द्वारा यथा निर्देशित दूर-दराज एवं कम सेवा वाले क्षेत्रों में खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने में विफल होती है तो सरकार/नियामक बोर्ड को ऐसा विपणन प्राधिकार रद्द करने की शक्ति प्राप्त होगी

परन्तु, पात्र कंपनी पैरा 3(10) में यथा उल्लिखित विद्यमान विपणन कंपनियों के साथ उपयुक्त वाणिज्यिक करार(करार) करके इस दायित्व का निर्वाह करने को चुन सकती है।

स्पष्टीकरण :

(1) विपणन सेवा दायित्वों से तात्पर्य सरकार/नियामक बोर्ड के द्वारा निर्धारित ऐसे दायित्वों से है और इनमें समय-समय पर केन्द्र सरकार के द्वारा घोषित किए जाने वाले दूर-दराज क्षेत्रों तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत खुदरा बिक्री केन्द्रों समेत विपणन आधारमूत सुविधाएं स्थापित करने के ऐसे दायित्व सम्मिलित हैं, जो सरकार/बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना एकाधिकार बाजारों, दूर-दराज क्षेत्रों तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत खुदरा बिक्री केन्द्र बंद न करने के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा यथा विनिर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों के न्यूनतम सामान सूची स्तरों का रख-रखाव करने के लिए किसी भी व्यक्ति को उपयुक्त समयावधि के अंतर्गत तथा भेदभाव रहित आधार पर मांग पर सेवा उपलब्ध कराने के लिए तथा बोर्ड एवं/अथवा किसी अन्य निर्धारित प्राधिकरणों के द्वारा निर्धारित संहिताओं एवं मानकों का अनुसरण करने के लिए हैं।

(2) खुदरा बिक्री केन्द्रों से संबंधित "खुदरा सेवा दायित्व" से तात्पर्य सरकार/नियामक बोर्ड के द्वारा निर्धारित दायित्वों से है और इनमें खुदरा उपभोक्ताओं के लिए विनिर्दिष्ट काम-काजी घंटों के दौरान एमएस तथा एचएसडी की आपूर्तियों का रख-रखाव करने के दायित्व सम्मिलित हैं और यह कि यह एसएम तथा एचएसडी विनिर्दिष्ट गुणवत्ता तथा मात्रा के हों तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि खुदरा बिक्री केन्द्रों पर खुदरा उपभोक्ताओं के लिए सरकार/बोर्ड के द्वारा यथा निर्धारित न्यूनतम सुविधायें उपलब्ध हैं।

(3) इस योजना के अंतर्गत "दूर-दराज क्षेत्र" से तात्पर्य हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल राज्यों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह राज्य क्षेत्रों के अधिसूचित जिलों तथा केन्द्र सरकार के द्वारा इस प्रकार अधिसूचित किसी अन्य क्षेत्र से है।

(4) इस योजना के अंतर्गत "कम सेवा वाले क्षेत्र" से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग नहीं है तथा जहां 10 किलो मीटर अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित किए जाने वाले क्षेत्र के अंतर्गत कोई खुदरा बिक्री केन्द्र नहीं है।

(ख) ऐसी पात्र कंपनी इस प्राधिकार से किसी ऐसे डीलर के माध्यम से प्रचालन नहीं करेगी जिसके साथ किसी अन्य दूसरी विपणन कंपनी ने अथवा अन्य दूसरी कंपनी के विद्यमान खुदरा बिक्री केन्द्र से परिवहन ईंधन (ईंधनों) के विपणन के लिए करार किया है।

(ग) दूरस्थ और कम सेवा वाले क्षेत्रों की सेवा से संबंधित योजना के सिवाय वर्तमान योजना में सरकार/नियामक बोर्ड सामान्यतया किसी बड़े बदलाव का सुझाव नहीं देगी।

14. एक बार जारी किया गया विपणन प्राधिकार तब तक वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक प्राधिकृत करने से संबंधित परिस्थितियों का उल्लंघन न किया जाए। किसी भी मामले में ऐसा आवेदक को सूचना दिए बिना और उल्लंघनों की पूरी जांच किए बिना नहीं किया जाएगा।

15. आवेदक विपणन की अपनी योजना में मुख्य परिवर्तन (नों), यदि कोई हों, के संबंध में सरकार/नियामक बोर्ड को सूचित करेगा। विपणन का प्राधिकार आवेदक को किसी सक्षम प्राधिकारी के कानून, नियमों या विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित अन्य अनुमोदन लेने की बाध्यता से मुक्त नहीं करता,

16. जब तक नियामक बोर्ड का गठन नहीं कर लिया जाता, तब तक सरकार विपणन ईंधनों की योजना का अनुमोदन करेगी और इस संबंध में सारे प्राधिकार जारी करेगी।

17. सरकार विपणन ईंधनों का विपणन करने का प्राधिकार 1.4.2002 या एपीएम की समाप्ति तक और किसी कार्यकारी नियामक तंत्र की स्थापना तक प्रदान करेगी। एपीएम के दौरान प्राधिकार उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्होंने पात्र कार्यों में विनिर्दिष्ट पूरा निवेश किया है। वे कम्पनियां एपीएम की समाप्ति के बाद ही परिवहन ईंधनों के विपणन का प्राधिकार प्रदान करने की पात्र होंगी, जो विनिर्दिष्ट धनराशि का निवेश करने का प्रस्ताव करती हैं। नई हस्तियां, जिन्हें एपीएम के दौरान परिवहन ईंधनों का विपणन करने के लिए प्राधिकार प्रदान किया जाएगा, अपनी विपणन सुविधाओं के लिए तेल पूल खाते से उतनी क्षतिपूर्ति की हकदार होंगी, जो प्राधिकार प्रदान किए जाने के समय तेल पूल खाते से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र होने हेतु विशेष रूप से अनुमोदित है। ऊपर वर्णित बुनियादी सुविधाओं में से तेल पूल खाते से क्षतिपूर्ति केवल उन टर्मिनलों/डिपुओं को प्रदान की जाएगी जिनका वास्तविक रूप से उपयोग किया जाता है और यह उस सीमा तक होगी जितनी ओसीसी की योजनाओं के अनुसार पेट्रोल और डीजल के भंडारण/वितरण के लिए इनका/से क्षतिपूर्ति उपयोग किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए तेल पूल खाते और इसके सहायक मामलों के संबंध में कम्पनी और सरकार द्वारा एक करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

18. इन दिशा निर्देशों के किसी प्रावधान के संबंध में कोई संदेह या विवाद होने की स्थिति में सरकार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

4. इसमें उल्लिखित निर्णय तुरंत लागू होंगे और अगले आदेशों तक लागू रहेंगे।

एस. विजयराघवन, संयुक्त सचिव.

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

RESOLUTION

New Delhi, the 8th March, 2002

No. P-23015/1/2001-Mkt.— The Government of India vide its Resolution No. 224 dated 21st November, 1997 decided the phased dismantling of Administered Pricing Mechanism (APM). In the aforesaid Resolution, it was envisaged that investments in the refining sector will be encouraged by providing reasonable tariff protection and making marketing rights for transportation fuels viz. MS, HSD and ATF conditional on owning and operating refineries with an investment of at least Rs. 2000 crore or oil exploration and production companies producing at least three million tonnes of crude oil annually.

2. The Prime Minister, in March, 1999, had set up a Group of Ministers for working out a specific framework for developing "India Hydrocarbon Vision - 2025". The Group submitted its report on 23.3.2000. The report has inter-alia recommended that marketing rights for transportation fuels be made conditional to a company investing or proposing to invest Rs. 2000/- crore in exploration or production, refining, pipelines or terminals. The report has also recommended to set up mechanisms to enable new entrants to establish own distribution networks for marketing without encroaching on the retail networks of the existing marketing companies.

3. The Government of India have now decided to grant authorization to market transportation fuels, namely, MS, HSD and ATF to the new entrants including the private sector, after taking into account the recommendations of the Report "Indian Hydrocarbon Vision – 2025". The guidelines for granting of authorization to market transportation fuels are given below:

I. As per the Resolution of the Government of India dated 21st November, 1997, companies owning and operating refineries with an investment of at least Rs.2,000 crore or oil exploration and production companies producing at least 3 million tonnes of crude oil annually, are entitled for marketing rights for transportation fuels.

II. Now, authorization to market transportation fuels, namely, motor spirit (MS), high speed diesel(HSD) and aviation turbine fuel (ATF) is also available to a company investing or proposing to invest Rs.2,000 crore, in

exploration and production (E&P), refining, pipelines or terminals. The valuation of the investments for the above purposes will be got done by the Government to its satisfaction.

III. In case of future investments, the time frame for making such investments in the eligible activities would be counted as ten years from the date of grant of authorization for marketing of transportation fuels for all projects taken up under this scheme. Within the overall time frame of ten years for making investment of Rs. 2,000 crore in the eligible activities, financial closure should be achieved within five years, and the project/projects completed in all respects within ten years. The aforesaid period of ten years includes the period earmarked for financial closure.To be eligible, the company will be required to make such investments as would result in the additionality to the existing assets and/or creation of new assets in the eligible activities.

IV. Investment in the following assets is considered eligible:

(a) Setting up new grass root refineries and/or expansion of the existing refineries along with facilities like crude oil receipt and transportation facilities.
(b) Exploration and production of hydrocarbons including coal bed methane, and associated facilities like crude oil/natural gas pipelines, crude oil and natural gas processing plants.
(c) Terminals for crude oil/LNG.
(d) Common carrier natural gas/petroleum products/LPG pipelines;

Provided in case of "common carrier pipelines", the investor would be subject to all rules and regulations relating to a regulatory mechanism that may be laid down in future.

(e) Investment in the above activities for setting up additional assets for improvement in quality of product to meet environmentally related norms.

The activities other than those specified above would not be eligible.

V. The requirement of the specified amount of actual or proposed investment would be applicable to the total of the various investments/proposed investments by the company in the eligible activities and would not be restricted to any single activity.

VI (a) The company proposing to make the specified level of investment in the eligible activities or a company which has already made Rs. 2000 crore of investment in the eligible activities but is yet to complete the project/projects will be required to sign an agreement containing conditions and milestones, with the Government in the Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoP&NG)/Regulatory Board.

(b) The agreement would, inter-alia, have specific provisions for bank guarantee of Rs. 500 crore for the proposed investment. The guarantee,

where imposed, would be discharged on completion of the investment of Rs. 2,000 crore but the obligation of the applicant to complete the project would continue till final completion of the project.

VII. The Government/Regulatory Board shall review the progress of project/projects periodically with the concerned parties to satisfy itself that the conditions and milestones given in the agreement are being fully complied and there is no slippage therein. If the investment up to Rs. 2000 crore is delayed beyond ten years, then the bank guarantee may be invoked and any other penalty as provided in the agreement imposed including the cancellation of authorization to market transportation fuels. In cases where after investment of Rs. 2000 crore the project remains incomplete beyond the period, specified by the applicant in his scheme, the market authorisation can be withdrawn.

VIII. The investments made or proposed to be made in the eligible activities would be in the form of equity, equity like instruments e.g. convertible debentures (fully or partially), or debt with recourse to the company.

IX. Every eligible company would get only one authorization i.e. the company that has invested or proposes to invest in the eligible activities either in its name or in the name of the company in which investment has been made or is proposed to be made.

X. The authorization to market transportation fuels may be exercised either by the eligible company itself or through its subsidiary or through its Joint Venture (JV) company with other eligible company/companies or through its JV company with a Public Sector Undertaking already marketing transportation fuels.

XI. The authorization to market transportation fuels will not be transferable without permission of the Government.

XII. The company seeking authorization to market transportation fuels will be required to make an application in the specified form, accompanied by such fees as may be specified, giving details of the scheme of marketing for which authorization is sought. There shall be no limit to the quantum and size of the scheme and the number and location of retail outlets (ROs) in the scheme provided that no encroachments on the existing retail outlets will be allowed. However, the marketing scheme shall, by way of information, contain details of :-

(a) the source of supply of products to be marketed;
(b) tankage and other infrastructure established/proposed to be established along with their capacity;
(c) means of transportation of products to depots and to ROs;
(d) the number and locations of ROs proposed to be established **and details of their storage and dispensing capacity;**
(e) the total quantum and type of products to be covered under the marketing scheme.

The scheme will specifically outline the mode of compliance volunteered by the eligible company relating to retail service obligations and marketing service obligations as may be laid down by the Government/Regulatory Board.

XIII After scrutinizing the scheme, the Government or the Regulatory Board as the case may be, may give authorization to the eligible company imposing conditions in public interest which may include:-

(a) servicing remote areas and low service areas as may be declared by the Central Government from time to time, by setting up ROs in such areas at least in proportion to the existing percentage of ROs in the remote areas and low service areas respectively at the beginning of the year of applying for authorization.

The Government/Regulatory Board shall have the power to cancel the marketing authorization if the eligible company fails to set up retail outlets in the remote and low service areas as directed by the Government/Regulatory Board while issuing authorization.

Provided that the eligible company may choose to discharge this obligation by entering into suitable commercial agreement(s) with the existing marketing companies as mentioned in para 3(X).

Explanation:

(i) 'Marketing service obligations' mean obligations laid down by the Government/Regulatory Board and include obligations to set up marketing infrastructure including retail outlets in remote areas and low service areas as may be declared by the Central Government from time to time, not to close down retail outlets in monopoly markets, remote areas and low service areas without prior permission of the Government/Board, to maintain minimum inventory levels of petroleum products as specified by the Central Government, to provide service to any person on demand within a reasonable period of time and on a non-discriminatory basis, and to follow codes and standards laid down by the Board and/or any other prescribed authority.

(ii) 'Retail service obligations' for retail outlets mean obligations laid down by the Government/Regulatory Board and include the obligations for maintaining supplies of MS and HSD to retail consumers through out the specified working hours and of specified quality and quantity and ensuring that minimum facilities as laid down by the Government/Board are available to the retail consumers at retail outlets.

(iii) 'Remote areas' in this scheme mean the notified districts in the States of Himachal Pradesh, J&K, North Eastern States, Sikkim, Uttranchal, Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep Islands and any other area notified as such by the Central Government.

(iv) 'Low service area' in this scheme means an area not covered by National Highway/State Highway and not having any retail outlet within 10 KMs or as may be notified by the Central Government from time to time.

(b) the eligible company shall not operate with this authorization through a dealer with whom another marketing company has entered into an agreement for marketing of transportation fuel(s) or from the existing retail outlet of another company.

(c) the Government/Regulatory Board shall not normally suggest major alterations in the proposed scheme except relating to the servicing of remote areas and low service areas. The Government/Regulatory Board shall endeavour to issue authorization within three months of the receipt of the application.

XIV The marketing authorization once issued will not be withdrawn unless the conditions relating to the authorization are violated. In any case, this shall not be done without a notice to the applicant and without full enquiry into the violations.

XV The applicant shall inform the Government/Regulatory Board of major change(s) in his scheme of marketing, if any. The marketing authorization does not discharge the applicant from the obligation of obtaining other clearances as required under law, rules or regulations of a competent authority;

XVI Till the Regulatory Board is formed, the Government will approve the scheme for marketing transportation fuels and issue all authorizations in this regard.

XVII. Authorization to market transportation fuels would be granted by the Government up to 1.4.2002 or till the dismantling of APM and the setting up of a functioning Regulatory Mechanism. During APM, the authorization will be given to those who have made in full the specified investment in the eligible activities. Companies who propose to invest the specified amount, would be eligible for grant of authorization to market transportation fuels only after the APM is dismantled. The new entities who are granted authorization to market transportation fuels during the APM will be entitled to compensation from the oil pool account for such of their marketing infrastructure which is specifically approved to be eligible to be compensated from the oil pool account at the time of grant of authorization. Out of the infrastructure mentioned above, the compensation from the oil pool account would be given only for the terminals/depots that are actually used and to the extent they are used for storage/distribution of petrol and diesel as per the OCC plans. For this purpose, an agreement regarding compensation from the oil pool account and allied matters will be entered into by the company with the Government.

XVIII. In case of any doubt or dispute as regards any of the provisions of these guidelines, decision of the Government will be final and binding.

4. The decisions herein contained will come into force at once and will remain in force until further orders.

S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.